

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
72/21	212 RTA	मजरवाता	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
फूलचन्द वर्गै०	बनाम	अमरलाल वर्गै०	
वकील :-	श्री जितेन्द्र नागर एड०	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

27.09.2021 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी के न्याया० में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी गण को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.10.21 को पेश हो।

12.10.21 पत्रावली पेश की जा रही थी। उक्त अप्रार्थी की तलबी हेतु तलबनामा पेश कर पत्रावली काटि तलबी दिनांक 9.12.21 को पेश हो।
 उपखण्ड अधिकारी बारां

9/12/21 गैरवासीय अधिकारी के कार्यालय में रहने से पूर्ववत दिनांक 27-1-22 को प्रस्तुत हो।
 लुई रोडर
 उपखण्ड अधिकारी बारां

27.1.22 गैरवासीय अधिकारी के कार्यालय में रहने से पूर्ववत दिनांक 31.3.22 को प्रस्तुत हो।
 लुई रोडर
 उपखण्ड अधिकारी बारां

31/3/22 पत्रावली पेश की। वकील जर्ज्य उक्त अप्रार्थी की तलबी हेतु तलबनामा पेश कर। पत्रावली काटि तलबी दिनांक 20/5/22 को पेश हो।

20/5/22 गैरवासीय अधिकारी के कार्यालय में रहने से पूर्ववत दिनांक 22/5/22 को प्रस्तुत हो।
 लुई रोडर
 उपखण्ड अधिकारी बारां

23-7-22 पत्रावली आज पेश की। तलबी उक्त अप्रार्थी गण की तलबी हेतु तलबनामा पेश कर। पत्रावली काटि तलबी दिनांक 20-9-22 को पेश हो।

दिनांक

29/11/24

फायली पेश की वकील को प्रती उपर वकील: प्रती
 214 न्यायीकरण की तलबी हेतु सुझावा पेश की जा
 समायुक्त हो पूर्व के कई अवसर पर पर पुर्न ही
 न्यायीकरण/न्यायीकरण की तलबी हेतु सुझावा पेश की
 अने के कारण प्रती न्यायीकरण पर मोहरा प्रती
 2024 के तहत लालि जा नारा ही पत्रवली
 फायली सुझाव हेतु आर प्रती वकील के दाखिल
 शहर है।

प्रमाणित प्रमाणित
 कोमल कोमल के तहत के
 प्रती प्रती प्रती

प्रती
 कोमल कोमल के तहत के

9/5
 के वकील
 उप-जि
 आयु 35